रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 10, 1995/भाद्र 19, 1917
No. 367] NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 10, 1995/BHADRA 19, 1917

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1995

सा. का. नि. 628(अ).—केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना सं. सा. का. नि. 768(अ) तारीख 10-9-1990 के क्रम में, और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 294क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट माल के प्रवर्ग के लिए मांग, ऐसे माल के उत्पादन या प्रदाय से पर्याप्ततः अधिक है और एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की सेवाएं, ऐसे माल के लिए बाजार का सृजन करने के लिए आवश्यक नहीं होगी, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की और अवधि के लिए भारत में ऐसे माल के विक्रय के लिए किसी कम्पनी द्वारा एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जाएगी ।

सारणी

1. चीनी

2. वनस्पति

[फा. सं. 3/8/95-सी. एल.-5]

आर. डी. जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1995

G.S.R. 628(E).—In continuation of Notification No. G.S.R. 768(E) dated 10-9-1990 and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 294-AA of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government being of the opinion that the demand for the category of goods specified in the Table below is substantially in excess of the production or supply of such goods and that the services of the Sole Selling Agents will not be necessary to create a market for such goods, hereby declares that Sole Selling Agents shall not be appointed by any Company for the sale of such goods in India for a further period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

1. Sugar

2. Vanaspati

[File No. 3/8/95-CL. V]
R. D. JOSHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 • 1995